न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्या:862/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00643)

1. बाबूलाल पुत्र सोनाराम, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम जोनपुर, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लालाराम पुत्र रामदेव, जाति ब्राहाम्ण, निवासी जोरपुरा तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 20.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने यह तथ्य अंकित किये थे कि प्रस्तुत आवेदन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें चाहा गया अनुतोष अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 337/67 में से नक्शे में सीधी रेखा के आधार पर निर्णय चाहा है अर्थात अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि सीधी प्रभावित होती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2020 पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह भी एक तरफा रिपोर्ट है क्योंकि तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को प्रभावित पक्षकार को नोटिस देकर तथा सुनवाई का अवसर देकर मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त मौका रिपोर्ट बनाई गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम जोरपुरा दिनांक 07.08.220 मे स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 337/67 रकबा 12139 हैक्टयर पर अपीलान्ट बाबूलाल पुत्र सोनाराम का नाम दर्ज रिकार्ड होने का तथ्य अंकित किया है इसके पश्चात भी अपीलान्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये जो एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित

P.T.O.

किया है जो विधि विधान के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आवेदन प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि पूर्व के खसरा नम्बर 67/1 में पारस्परिक सहमति के आधार पर विभाजन किया गया और विभाजन के पश्चात् खाता व नक्शा कायम किया गया जिसकी जानकारी रेस्पोडेट संख्या 1 को शुरू से ही है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या द्वारा जो संलग्न नक्शा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था उसमें जो तथाकथित संशोधन चाहा है वह वास्तविक स्थिति के विपरित है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रोड के दोनो तरफ भूमि को जो विखण्ड चाहा है वह दोनों तरफ के खातेदार काश्तकार के अनुकूल नही है और ना ही उक्त विखण्ड से कृषि कार्य होना संभव होगा बल्कि विवाद एवं पेचिदगीया कारित होगी जिसे भी नही समझकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2020 को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 336/67 रकबा 1.2013 हैक्टयर वाके ग्राम जोरपुरा (सुन्दरियावास) तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर रजास्थान मे स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 94/95 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित आराजी के पूर्व में खसरा नम्बर 67/1 थे तथा उक्त आराजी के मध्य में से डामर सड़क निकली हुई है जिसके खसरा नम्बर 67/2 है तथा खसरा नम्बर 67/1 की आराजी सड़क के दोनों ओर स्थित है, खसरा नम्बर 67/1 के खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होने से खातेदारी अलग–अलग दर्ज की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की आराजी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 336/67 हैक्टयर की स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे अनुसार है तथा रेस्पोडेन्ट मौके पर उक्त संलग्न नक्शे अनुसार काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट की आराजी की सही रूप से तरमीम नही होने से रेस्पोडेन्ट अपनी आराजी का सही रूप से विभाजन नही कर सकता है, ना ही सही रूप से उन्नत व विकसित कर पा रहा है तथा पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करने में भी परेशानी होती है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वरा मौके के कब्जे अनुसार नक्शा लट्ठा मे उसकी आराजी की सही रूप से तरमीम नही होने पर तरमीम कराये जाने बाबत पटवार हल्का व तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को कई बार निवेदन किया परन्तु सही रूप से तरमीम नही करने व इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिस पर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त एवं परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2020 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के पत्रांक 2733 दिनांक 07.08.2020 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वर्तमान जमाबन्दी मे खसरा नम्बर 336/67 रकबा 1.2013 हैक्टयर भूमि लालाराम पुत्र रामदेव हिस्सा 94/95 व अखिल भारतीय हरियाणा गौड महासभा ईकाई जोरपुरा हिस्सा 1/95 के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 337/67 रकबा 12139 हैक्टयर पूर्व सहखातेदार बाबूलाल पुत्र सोनाराम के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 67/2 रकबा 0.3414 हैक्टयर किस्म गैर मु. सड़क सार्वजनिक निमार्ण विभाग के नाम दर्ज है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं अंकित किया है कि खसरा नम्बर 67/1 के खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होने से खातेदारी अलग–अलग दर्ज की गई है ऐसी स्थिति में जब विभाजन ही सहमति हुआ है तो निश्चित तौर पर उस समय तरमीम भी आपसी सहमति से हुई होगी किन्तु अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी प्रभावित पक्षकारान को पक्षकार नही बनाया गया है बल्कि केवल राजस्थान सरकार को ही पक्षकार बनाया गया है जिससे प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहा है जिससे प्रकरण के वास्तविक तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ पाये है। ऐसी स्थिति उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय 3 माह में पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।